

प्रेसनोट दिनांक 29.09.2021

1. दिनांक 28.09.21 को वादी श्री अभिषेक पाण्डेय पुत्र विजय शंकर पाण्डेय नि० मउ शिवाला थाना कैण्ट अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेजगति व लापरवाही पुर्वक वाहन चलाकर वादी के चरे भाई प्रवीण पाण्डेय की मो०सा० में टक्कर मार देना जिससे मृत्यु हो जाना। जिसके संबंध में थाना को०नगर में मु०अ०सं० 633 / 21 धारा 279, 304ए भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 28.09.21 को वादी उ०नि० श्री रजनीश कुमार पाण्डेय थाना को०अयोध्या अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि घनश्याम सिंह पुत्र स्व० रामतीरथ सिंह नि० धुरई सिंह का पुरवा थाना परशुरामपुर बस्ती गिर० अभि० के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को०अयोध्या में मु०अ०सं० 495 / 21 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 28.09.21 को वादी उ०नि० श्री मिथिलेश कुमार चौहान थाना को०अयोध्या अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि जग्गू लाल पुत्र सुरजी लाल नि० गोलाघाट थाना को०अयोध्या अयोध्या गिर० अभि० के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को०अयोध्या में मु०अ०सं० 496 / 21 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 28.09.21 को वादी का० धर्मन्द्र यादव थाना खण्डासा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि रामदीन पुत्र जगेसर नि० तुलापुर थाना खण्डासा अयोध्या गिर० अभि० के कब्जे से 15 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद होना। जिसके संबंध में थाना खण्डासा में मु०अ०सं० 251 / 21 धारा 60(1) आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 28.09.21 को वादी उ०नि० श्री ब्रह्मदत्त पाण्डेय थाना खण्डासा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि राजकुमार पुत्र काली प्रसाद नि० पाराखानी थाना खण्डासा अयोध्या गिर० अभि० के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद होना। जिसके संबंध में थाना खण्डासा में मु०अ०सं० 252 / 21 धारा 60(1) आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
6. दिनांक 28.09.21 को वादी का० अनुज कुमार थाना खण्डासा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि रामकलप पुत्र भगवती नि० धरोली थाना खण्डासा अयोध्या गिर० अभि० के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद होना। जिसके संबंध में थाना खण्डासा में मु०अ०सं० 253 / 21 धारा 60(1) आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
7. दिनांक 28.09.21 को वादी श्री मो० याकूब पुत्र अब्दुल कयूम नि० मो० घोसियाना थाना को०रुदौली अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि अजहर पुत्र लतीम नि० मो० घोसियाना थाना को०रुदौली अयोध्या आदि 04 नफर अभि०गण द्वारा गाली व जानमाल की धमकी देते हुए वादी व उसकी पत्नी को मारना पीटना। जिसके संबंध में थाना को०रुदौली में मु०अ०सं० 417 / 21 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।